न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0 टी0 सी0 नवीन, गोण्डा।

पीठासीन अधिकारी– श्री विकास, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 511/2026

CNR No.UPGD010015328–2026

विजय वर्मा उर्फ विन्जय पुत्र राम विशुन उर्फ प्रधाने वर्मा,निवासी पूरे हरवाहन कस्बा खरगूपुर, थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा

..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ..... **अभियोजन।**

मु०अ०सं० 218/2025
धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट
थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा।

दिनांक 11.03.2026

आवेदक/अभियुक्त विजय वर्मा उर्फ विन्जय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 218/2025, धारा–8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना–खरगूपुर जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त दिनांक 13.09.2025 से जिला कारागार गोण्डा में निरुद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक कामेश्वर रावत द्वारा थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा में इस आशय की फर्द/तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.09.2025 को उपनिरीक्षक कामेश्वर रावत मय हमराहीगण कान्सटेबल के साथ देखभाल में मामूर था थे कि मौजा बिरमापुर, नहर पुलिया, झारखण्डी मोड से कुछ दूर पहले मोटर साइकिल की रोशनी में नहर पुलिया पर बैठे दिखायी दिये। अचानक पुलिस को देखकर नहर पुलिया पर बैठे दोनों व्यक्ति झारखण्डी मण्डी वाली रोड पकड़ कर भागने लगे और 40 मीटर दौड़ाकर दोनो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया। नाम पता पूछने पर उसने अपना विजय वर्मा उर्फ विन्जय पुत्र रामविशुन उर्फ प्रधाने वर्मा, निवासी पूरे हरवाहन कस्बा खरगूपुर, थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा तथा पकडे गये व्यक्ति विजय वर्मा उर्फ विन्जय की जामा तलाशी में उसके कब्जे 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेकर अभियुक्त विजय वर्मा उर्फ विन्जय को अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० के तहत गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त फर्द बरामदगी/तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा में मुकदमा अपराध संख्या–218/2025 धारा–8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना–खरगूपुर जिला–गोण्डा में अभियुक्त विजय वर्मा उर्फ विन्जय के विरूद्ध दर्ज हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी का तथाकथित घटना से किसी तरह का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, महज प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नीयत से आये दिन थाना स्थानीय पर बुलाकर पूछताछ का बहाना बनाकर फर्जी मुकदमा बना कर चालान कर दिया जाता है। जबकि प्रार्थी एक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी दिनांक 13.09.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। पुलिस द्वारा तैयार की गयी तहरीर फर्द बरामदगी पूर्ण रूप से फर्जी एवं बनावटी है, थाना स्थानीय पर बैठकर तैयार की गई है। अभियोजन द्वारा 50 Cr.P.C. का अनुपालन नहीं कराया गया इसलिए प्रार्थी के घर वाले प्रार्थी को काफी दिनों तक तलाश करते रहे किसी तरह कचेहरी में रिमाण्ड पर आने के बाद जब प्रार्थी ने अपने घर वालों को सूचना दिया तब घर वालों को पता चला कि प्रार्थी के विरुद्ध थाना स्थानीय द्वारा फर्जी मुकदमा लगाकर इस मुकदमें में चालान किया गया। प्रार्थी किसी अन्य मुकदमें में दोष सिद्ध या सजायाप्ता नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध चुनावी रंजिश को

Digitally signed by VIKAS
Date: 2026.03.20 15:29:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लेकर पूर्व चेयरमैन द्वारा थाना स्थानीय से मिलकर फर्जी मुकदमा लिखाया गया जाता रहा चूँकि प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है, विपक्षीगण का सामना कर पाने में असमर्थ हैं। प्रार्थी के साथ उसी तहरीर में एक अन्य रंजीत मौर्य का नाम भी उल्लिखित किया गया है, जबकि प्रार्थी व्यक्ति उपरोक्त के बारे में कभी एक दूसरे से न परिचित थे न मिले थे। प्रार्थी के पास से दिखाई गई मात्रा व्यवसायिक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी जमानत पाने का हकदार है। तथाकथित घटना व बरामदगी का स्थल एक जनपदीय मार्ग की बतायी जा रही है, जहां पर आम पब्लिक का चौबीस घण्टे का आना जाना बना रहता है, परन्तु आम पब्लिक का एक भी गवाह चस्मदीद मौजूद नहीं है। प्रार्थी एक पारिवारिक मजदूर पेशा व्यक्ति है, भागने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय हाजिर आकर परीक्षण में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी द्वारा गवाहान को तोड़ने धमकाने व प्रलोभन देने का प्रयास नहीं किया जायेगा। प्रार्थी की जमानत लेने को संभ्रात जमानतदार मौजूद है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। उक्त अभिकथनों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त आम जनमानस के लोगो को गांजा बेचने जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रो का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि फर्द बरामदगी में अभियुक्त के पास से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद होने का अभिकथन किया गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से बेहद कम है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 13.09.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में दिनांक 14.10.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का भूमिका भी सह अभियुक्त से भिन्न नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिथितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टिप्पणी किये वगैर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विजय वर्मा उर्फ विन्जय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 218/2025, धारा 8/20 स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000/–(पचास हजार) रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, सत्यापन के पश्चात अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 11.03.2026

(विकास)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी० नवीन, गोण्डा।
J.O.Code–UP1785